पांच सौ करोड़ से ज्यादा निवेश पर आसानी से मिलेगी जमीन

प्रतिष्ठित मेगा प्रोजेक्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को भी सीधा आवंटन

सचिन मुद्गल

लखनऊ। वैश्विक निवेशक सम्मेलन (जीआईएस) में निवेश करार करने वाली सुपर मेगा और अल्ट्रा मेगा इकाइयों को फास्ट ट्रैक आधार पर बिना नीलामी के भूमि आवंटित की जाएगी। औद्योगिक विकास विभाग इसकी नियमावली तैयार कर रहा है।

औद्योगिक विकास प्राधिकरण और विकास प्राधिकरण स्तर से किसी भी औद्योगिक इकाई के लिए भूमि का आवंटन ई-नीलामी के जरिए किया जाता है। इसमें भूमि की कीमत बहुत अधिक हो जाती है। बड़े निवेशकों और औद्योगिक संस्थाओं की ओर से भूमि आवंटन की प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग की गई थी। जीआईएस में 186 कंपनियों ने 2000 करोड़ रुपये से अधिक, 45 कंपनियों ने 1500 से 2000 करोड़, 55 कंपनियों ने 1000 से 1500 करोड़ और 250 कंपनियों ने 500 से 1000 करोड़ रुपये के निवेश के लिए करार किया है।

सुपर मेगा और अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं के साथ प्रतिष्ठित मेगा परियोजनाओं (200 से 500 करोड़ रुपये तक निवेश) और राज्य व केंद्र सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की औद्योगिक परियोजनाओं को फास्ट ट्रैक आधार पर भूमि का आवंटन किया जाएगा। औद्योगिक विकास प्राधिकरण या विकास प्राधिकरण निवेशकों को बिना नीलामी प्रक्रिया के सीधे भूमि आवंटित कर सकेंगे। निवेशक को भूमि की आरक्षित दर और उसके 15 प्रतिशत प्रीमियम का अतिरिक्त भुगतान करना होगा।

निवेशक को आरक्षित दर व उसका 15% अतिरिक्त करना होगा भुगतान

- प्रदेश सरकार की औद्योगिक विकास नीति में 500 से 3000 करोड़ रुपये तक का निवेश करने वाली इकाइयों को सुपर मेगा और 3000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करने वाली इकाइयों को अल्ट्रा मेगा की श्रेणी में रखा है।

भूमि के लिए प्राधिकरण या डीएम के यहां करना होगा आवेदन

सुपर मेगा व अल्ट्रा मेगा यूनिट के लिए निवेशक को यदि प्राधिकरण क्षेत्र के बाहर भूमि की आवश्यकता है तो डीएम के यहां आवेदन करना होगा और प्राधिकरण क्षेत्र में आवेदन करना होगा। उनके आवेदन का परीक्षण करने के बाद प्रस्ताव राज्य स्तरीय समिति को भेजा जाएगा। समिति की मंजूरी के बाद संबंधित निवेशक को वांछित स्थान पर आवश्यकतानुसार भूमि का सीधा आवंटन किया जाएगा। औद्योगिक विकास विभाग के प्रमुख सचिव अनिल सागर ने बताया कि भूमि आवंटन की नियमावली बनाई जा रही है।

करार धरातल पर उतारने के लिए त्रिस्तरीय निगरानी

लखनऊ। जीआईएस के करारों को धरातल पर उतारने के लिए जिला से लेकर राज्य सरकार के स्तर पर त्रिस्तरीय निगरानी होगी। इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव की होगी। जहां निवेशकों ने औद्योगिक विकास प्राधिकरण से संबंधित करार किया है उन्हें धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी संबंधित प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी की होगी। औद्योगिक विकास विभाग ने इस त्रिस्तरीय व्यवस्था के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। >> संबंधित खबर भी पढ़ें...